

आवश्यक
पंचायत उप निर्वाचन, 2025



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या - प.नि. 30-46/2025 - 2802

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक - 19.6.25

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2025 - व्यापक सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु सुरक्षा बलों का आकलन एवं 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) प्रेषित करने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 3038 दिनांक 10.08.2021 एवं

पत्रांक 4575 दिनांक 28.09.2021 (पत्र संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रांक 3038 दिनांक 10.08.2021 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हेतु मापदण्ड संसूचित किये गये थे, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों का आकलन कर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। साथ ही प्रासंगिक पत्रांक 4575 दिनांक 28.09.2021 द्वारा 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) प्रेषित करने का निदेश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हेतु मापदण्ड पंचायत आम निर्वाचन के सन्दर्भ में था। वर्तमान में कतिपय रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जा रहे हैं। जब आम निर्वाचन होता है तो असामाजिक तत्त्व अपने-अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, परन्तु कतिपय स्थान पर निर्वाचन होने से असामाजिक तत्त्व उन क्षेत्रों में एकजुट हो सकते हैं, जो निर्वाचन के संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त आयोग का निदेश है कि -

(क) प्रत्येक भवन के आधार पर प्रतिनियुक्ति न कर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर स्वतंत्र रूप से स्टैटिक 1 पदाधिकारी, 03 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाय।

(ख) होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति न कर जिला सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की जाय।

(ग) शेष मामलों में प्रासंगिक पत्रांक 3038 दिनांक 10.08.2021 के आलोक में पंचायत उप निर्वाचन, 2025 को स्वतंत्र, स्वच्छ, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था संधारित करते हुये समुचित संख्या में सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से प्रासंगिक पत्र के आलोक में पंचायत उप निर्वाचन, 2025 को स्वतंत्र, स्वच्छ, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था संधारित की जाय एवं 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) **संलग्न प्रपत्र में दिनांक 02.07.2025 तक** प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-46/2025 - 2802

पटना, दिनांक - 19.6.25

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-46/2025 - 2802

पटना, दिनांक - 19.6.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुपक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-46/2025 - 2802

पटना, दिनांक - 19.6.25

प्रतिलिपि, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-46/2025 - 2802

पटना, दिनांक - 19.6.25

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना /पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।